संख्या-45/2019/1131/12-5-2019-सा०-12/2018 टीसी

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 04 अक्टूबर, 2019**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ''पर ड्राप मोर क्रॉप-अदर इन्टरवेंशन घटक'' अन्तर्गत खेत-तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की योजना के सामान्य मद हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अ.कृ.नि.(सा०)शि./185/पीएमकेएसवाई(जनरल)/2019-20, दिनांक 06.09.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें० 60 प्रतिशत/रा० 40 प्रतिशत) के मानक मद 08-कार्यालय व्यय में रू० 3.00 लाख, 11-लेखन सामग्री में रू० 2.00 लाख, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में रू० 1.17 लाख, 27-सब्सिडी में रू० 1200.16 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 47.50 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 3.00 लाख, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय में रू० 3.00 लाख तथा 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में रू० 3.50 लाख अर्थात कुल रू० 1263.33 लाख (रू० बारह करोड़ तिरसठ लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेनिशयल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। एक मद से दूसरे मद में धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। व्यय के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण माहवार/जनपदवार निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय एस०एल०एस०सी० द्वारा अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप पी.एम.के.एस.वाई. हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किये जाने का दायित्व आपका होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत दिनांक 21.05.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलबध कराया जायेगा। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाए तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए।

8- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए। प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

9- वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसका उत्तरदायित्व आपका होगा। अब तक शासन द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। केन्द्रांश की उपलब्धता एवं द्विरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

10- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 06-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 0601-वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (कें० 60 प्रतिशत/रा० 40 प्रतिशत) के मानक मद 08-कार्यालय व्यय, 11-लेखन सामग्री, 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद, 27-सब्सिडी, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय तथा 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामें डाला जायेगा।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-45/2019/1131(1)/12-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in